बजट भाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय,

प्रजातंत्र के इस पावन मंदिर में अपनी मध्यप्रदेश सरकार का लगातार आठवाँ वार्षिक बजट प्रस्तुत करते हुए मैं बेहद रोमांचित हूँ।

चुनौतियाँ तब भी थी जब पहला बजट प्रस्तुत किया था और चुनौतियाँ आज भी हैं। फर्क यह है कि उस समय खंडहर को रहने लायक घर बनाने की थी और आज उस घर में रहने वालों के मन में महल बनाने की उम्मीद जगी है। पहले घबराहट थी लेकिन हौसला था आज हौसला बुलंदी पर है और आत्मविश्वास भी।

"गर्दिशों ने पहले-पहले, खूब तोड़ा था हमें।
अब न हों वे तो, मजा जीने का कुछ आता नहीं।।"

प्रदेश का भूगोल भी वही है और इतिहास भी वही। जन भी वही और तंत्र भी वही। बदला है तो केवल नेतृत्व। नेतृत्व की सोच एवं दृष्टिकोण और इस बदलाव से बदली है प्रदेश की तस्वीर और तकदीर भी।

"नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं,
सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं।
कश्तियाँ बदलने की जरुरत नहीं,
दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं।"

2. सदन द्वारा पारित संकल्प-2010 को मूर्त रूप देने के लिये हमारी सरकार कृत-संकल्पित है। हमारी सरकार का यह भी संकल्प है कि बजट का कम से कम 50% अंश गरीबों को समर्पित हो। मुझे सदन को यह अवगत कराने में हर्ष हो रहा है कि हमने इन संकल्पों को क्रियान्वित करना प्रारंभ कर दिया है एवं इसके लिये बजट में आवश्यक प्रावधान प्रस्तावित किये गये हैं। इस प्रस्तावित बजट में आधी से अधिक राशि उन

योजनाओं/कार्यक्रमों पर व्यय की जा रही है जो राज्य के गरीबों को लाभान्वित करती हैं।

3. बजट का आकार बदल गया है और आयाम भी। वर्ष 2003-04 में ₹ 21,647 करोड़ का बजट था वही अब वर्ष 2011-12 में बढ़कर ₹ 65,845 करोड़ का हो रहा है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में आयोजना परिव्यय हेतु ₹ 69,788 करोड़ निर्धारित थे जो योजना के अंतिम वर्ष 2011-12 में ₹ 83,600 करोड़ से अधिक का हो जाएगा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2003-04 में ₹1,02,839 करोड़ का था वह वर्ष 2011-12 में ₹ 2,66,085 करोड़ का होने का अनुमान है। प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2003-04 ₹ 14,306 थी वह बढ़कर वर्ष 2009-10 में ₹ 27,250 हो गई है। इतना ही नहीं गत दो वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में प्रदेश की विकास दर राष्ट्रीय औसत दर से भी अधिक होने का हमने गौरव प्राप्त किया है। गत सात वर्षों में एक दिन भी प्रदेश को ओव्हर ड्राफ्ट की जरुरत नहीं पड़ी है और न ही धन के अभाव में प्रदेश का विकास एवं सामाजिक उत्थान अवरुद्ध हुआ है। गत सात वर्षों में प्रदेश लगातार राजस्व आधिक्य बनाये रखने में सफल रहा है।

4. मुझे सदन को यह अवगत कराने में हर्ष का अनुभव हो रहा है कि वर्ष 2011-12 का प्रदेश का कुल व्यय ₹ 65,845 करोड़ अनुमानित है जो वर्ष 2010-11 के ₹51,507 करोड़ के बजट अनुमान से 28% अधिक है जो कि एक नया कीर्तिमान है। प्रदेश की स्वयं की राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2010-11 के बजट अनुमान से ₹22,992 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011-12 में ₹ 29,117 करोड़ अनुमानित है। आयोजना व्यय वर्ष 2010-11 के ₹ 21,939 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011-12 में ₹ 25,578 करोड़

अनुमानित है। छठे वेतनमान के कारण वेतन एवं पेंशन में हुई भारी भरकम वृद्धि के उपरांत भी आयोजना व्यय की वृद्धि उल्लेखनीय है। इस बजट द्वारा प्रमुख मदों में प्रावधानों को अब मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।

ऊर्जा

5. वर्ष 2011-12 में ऊर्जा क्षेत्र अन्तर्गत ₹ 5,169 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो कि वर्ष 2010-11 के अनुमान ₹ 3,125 करोड़ से 65% अधिक है।

6. हमारी सरकार ने संकल्प-2010 के अनुक्रम में वर्ष 2013 तक विद्युत उत्पादन क्षमता में 5,000 मेगावाट की वृद्धि हेतु आवश्यक कदम उठाये हैं। दादा-धूनीवाले ताप विद्युत परियोजना की 800-800 मेगावाट की दो इकाईयों, श्री सिंगाजी (मालवा) ताप विद्युत परियोजना-प्रथम चरण की 660-660 मेगावाट की दो इकाईयों तथा द्वितीय चरण की 600-600 मेगावाट की दो इकाईयों, सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना की 250-250 मेगावाट की दो इकाईयों एवं बाण सागर ताप विद्युत परियोजना की 800-800 मेगावाट की दो इकाईयों के क्रियान्वयन की कार्यवाही प्रारंभ हो गई है। कुल ₹36,482 करोड़ की अनुमानित लागत से स्थापित किए जा रहे उपरोक्त संयंत्रों से 6,220 मेगावाट की उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जा सकेगी। इन विद्युत परियोजनाओं हेतु वर्ष 2011-12 में ₹ 397 करोड़ राज्य की अंशपूंजी के रूप में प्रावधान प्रस्तावित है। हमारी सरकार ने निजी क्षेत्र में भी विद्युत संयंत्र स्थापित करने हेतु 50 करारनामें हस्ताक्षरित किये हैं, जिनमें से वर्ष 2013 तक 5 कम्पनियों द्वारा विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाकर 3,050 मेगावाट की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने की संभावना है।

7. कृषि कार्यों के लिए आठ घंटे विद्युत प्रदाय सुनिश्चित करने के लिए ₹4,150 करोड़ की फीडर विभक्तिकरण योजना का कार्य प्रगति पर है।इसके लिए वर्ष 2011-12

में अनुमानित कुल व्यय ₹ 2,490 करोड़ है, जिसमें ₹ 278 करोड़ राज्य संसाधनों से अंशपूंजी के रूप में विद्युत वितरण कम्पनियों को उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

8. कृषकों को सस्ती दरों पर सिंचाई हेतु बिजली उपलब्ध कराने के लिए अनुदान के रुप में वर्ष 2011-12 में ₹1,455 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के निःशुल्क विद्युत कनेक्शन के लिए अनुदान के रुप में वर्ष 2011-12 में ₹ 80 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

9. विद्युत वितरण में समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों को कम करने के लिए संकल्प-2010 के अनुक्रम में पारेषण एवं उप-पारेषण व्यवस्था के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2011-12 में ₹ 866 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

10. हमारा यह विश्वास है कि विद्युत वितरण में समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि को कम करने में स्थानीय निकायों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः ऐसे स्थानीय निकाय जो इस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देंगें, को प्रोत्साहित करने के लिए विद्युत ज्योति पुरस्कार योजना प्रस्तावित है। इस योजना अन्तर्गत जिन स्थानीय निकायों के क्षेत्र में लगातार तीन माह तक समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि 15% या उससे कम स्तर पर रहेगी, ऐसी नगर पालिका को ₹ 10 लाख, नगर पंचायत को ₹ 5 लाख एवं ग्राम पंचायत को ₹ 1 लाख के मान से पुरुस्कृत किया जाएगा।

11. प्रदेश में अपरम्परागत ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य शासन द्वारा पृथक से नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग का गठन किया गया है। अपरम्परागत ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु संकल्प-2010 के अनुक्रम में वर्ष 2011-12 में ₹27 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2010-11 के अनुमानों की तुलना में दो गुना

से अधिक है। इसके अंतर्गत सोलर फोटो वोल्टाईक सेल, पवन ऊर्जा एवं बायोमास से 52 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

सड़क

12. प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए अच्छी सड़कों का होना अत्यन्त आवश्यक है। हमारी सरकार ने प्रदेश के वित्तीय संसाधनों एवं अन्य सामाजिक व अधोसंरचना क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए जन-निजी भागीदारी पद्धति के माध्यम से भी निवेशकों को आकर्षित किया है और आज हम सड़क मार्गों की अपनी उपलब्धि पर गौरव कर सकने की स्थिति में आ गये हैं।

13. राज्य के संसाधनों से सड़क क्षेत्र में ₹ 3,051 करोड़ के प्रावधान वर्ष 2011-12 के लिए प्रस्तावित हैं। इन प्रावधानों में नवीन सड़कों के निर्माण के लिए ₹ 2,295 करोड़ तथा संधारण के लिए ₹ 756 करोड़ का प्रावधान सम्मिलित हैं। वर्ष 2011-12 में सड़कों व पुलों के 71 नवीन कार्य प्रस्तावित है जिससे 1,686 किलोमीटर लंबाई की सड़कें बनेंगी।

14. हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 से माह दिसम्बर, 2010 तक 26,838 किलोमीटर सड़क निर्माण एवं उन्नयन के कार्य पूर्ण किए गए हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत वर्ष 2004-05 से अब तक ₹ 8,990 करोड़ की लागत से 38,440 किलोमीटर लंबाई के सड़क निर्माण का उत्कृष्ट कार्य किया गया है। वर्ष 2011-12 के लिए कुल 9,350 किलोमीटर लंबाई के मार्ग के निर्माण का लक्ष्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत रखा गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के मापदंडों में शामिल होने से वंचित गांवों को जोड़ने के लिए प्रदेश में बारहमासी सड़कों के निर्माण की योजना पृथक से ली गई है। इस हेतु वर्ष 2011-12 में ₹ 240 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

15. भारत सरकार द्वारा सहस्त्राब्दि विकास के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु मापदंडों में परिवर्तन कर दिए जाने से अब उन प्रदेशों को अधिक राशि प्राप्त हो रही है जहां पूर्व में सड़कों के निर्माण की प्रगति कम रही है। इस तरह प्रदेश को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दंडित होना पड़ रहा है। प्रदेश को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत जहां वर्ष 2009-10 में ₹ 2,111 करोड़ प्राप्त हुए थे, वहीं वर्ष 2010-11 में ₹ 1,674 करोड़ ही प्राप्त हुए। केन्द्रीय सड़क निधि अंतर्गत केन्द्र द्वारा मध्य प्रदेश के लिए दिसम्बर, 2010 तक ₹ 2,120 करोड़ की स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं लेकिन उसके अनुरूप अतिरिक्त धन राशि उपलब्ध नहीं कराई जा रही है।

सिंचाई

16. कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। इसके लिए आवश्यक है कि सिंचाई अधोसंरचनाओं के द्रुतगति से विस्तार के साथ-साथ स्थापित संरचनाओं का निरन्तर संरक्षण व संधारण भी हो ताकि इनसे लक्षित परिणाम प्राप्त हो सकें।

17. सिंचाई क्षेत्र में वर्ष 2011-12 के लिए ₹ 3,605 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित हैं। इन प्रावधानों में सिंचाई संरचनाओं के निर्माण में ₹ 3,100 करोड़ तथा संधारण के लिए ₹ 505 करोड़ सम्मिलित हैं।

18. हमारी सरकार ने संकल्प-2010 के अंतर्गत अगले चार वर्षों में 7.5 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित करने के लक्ष्य की पूर्ति हेतु कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। वर्ष 2010-11 में अब तक 367 लघु सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण किया गया है, जिसके लाभ भी क्षेत्र की जनता को मिलने प्रारंभ हो गए हैं। वर्तमान में 12 वृहद् 23 मध्यम तथा 865 लघु सिंचाई योजनायें निर्माणाधीन हैं। इनके पूर्ण होने पर 6.34 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित होगी। नर्मदा घाटी की वर्तमान

परियोजनाओं से वर्ष 2011-12 में 50,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि का लक्ष्य है। वर्ष 2011-12 में प्रारंभ की जा रही 10 वृहद् एवं 4 मध्यम नवीन सिंचाई परियोजनाओं के पूर्ण होने पर 1,46,226 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी।

पेयजल

19. वर्ष 2011-12 में जल प्रदाय योजनाओं के लिए ₹ 614 करोड़ एवं पेयजल संधारण हेतु ₹ 630 करोड़, इस प्रकार कुल ₹ 1,244 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

20. पेयजल हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हैण्डपम्पों का संधारण एक चुनौती रहा है। हमारी सरकार ने इस समस्या के समाधान हेतु स्थानीय व्यक्तियों को प्रशिक्षित कर उनसे हैण्डपम्प संधारण का कार्य कराने का निर्णय लिया है, जिसके लिए प्रत्येक हैण्डपम्प हेतु प्रतिमाह ₹ 50 की राशि देय होगी। वर्ष 2011-12 में हैण्डपम्पों के अनुरक्षण के लिए कुल ₹ 141 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

21. प्रदेश में नलकूपों के खनन के लिए ड्रिलिंग मशीनें क्रय करने हेतु वर्ष 2011-12 में ₹ 8 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों एवं आश्रमों में पेयजल व्यवस्था के लिए ₹ 19 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र

22. कृषक अपने परिश्रम से प्रदेश की जनता को खाद्यान्न एवं पोषण उपलब्ध कराते हैं। मैं कृषकों के लिए निम्नांकित पंक्तियां समर्पित करता हूँः-

"कल के नये सवेरे हम हैं, धरती के उत्थान हैं।
श्रम से हम तकदीर बदलते, मानवता के अभिमान हैं।।"

23. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र हेतु वर्ष 2011-12 में ₹ 5,075 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो कि वर्ष 2010-11 के अनुमान ₹ 3,848 करोड़ से 32% अधिक है।

24. हमारी सरकार ने प्रदेश में पाला एवं शीत लहर के प्रकोप से प्रभावित कृषकों को राहत हेतु अभी तक ₹ 700 करोड़ से अधिक की व्यवस्था की है। सब्जी उगाने वाले कृषकों के लिए राजस्व पुस्तक परिपत्र में संशोधन कर पहली बार सब्जी हेतु अन्य फसलों से पृथक अनुदान सहायता की बढ़ी हुई दरें निर्धारित की गई हैं। प्रभावित कृषकों को ऋण पर राहत दिलाने के लिये अल्पकालिक ऋणों को मध्यकालिक ऋण में परिवर्तित किए जाने तथा इस परिवर्तित ऋण पर पूर्ण अवधि के लिए मात्र 3% की दर से ब्याज प्रभारित करने का हमारी सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। इस हेतु वर्ष 2011-12 में ₹ 70 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

25. प्राकृतिक आपदाओं एवं फसलों की बीमारी के कारण अधिसूचित फसलों के क्षतिग्रस्त होने पर कृषकों को कृषि बीमा योजना के तहत वित्तीय सहायता वितरित की जाती है। इस हेतु वर्ष 2011-12 में ₹ 60 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

26. हमारी सरकार ने ऐसे कृषकों को, जिनके द्वारा ऋण का पुनर्भुगतान समय पर किया जाता है, को सहकारी बैंको के माध्यम से अल्पकालिक कृषि ऋण मात्र 1% की प्रभावी ब्याज दर पर उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया है। ब्याज दरों में अंतर की पूर्ति हेतु वर्ष 2011-12 में ₹ 280 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

27. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत कृषकों को कृषि की आधुनिकतम तकनीक से परिचित कराने, वैज्ञानिक तरीके से कृषि कार्य हेतु प्रशिक्षित कराने, मृदा स्वास्थ्य पत्रक तैयार कराने जैसी योजनायें संचालित की जा रही हैं। इस योजना अंतर्गत कृषि के साथ-साथ उद्यानिकी, मत्स्य पालन एवं पशुपालन के प्रोजेक्ट भी संचालित हैं। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2011-12 में कृषि कार्यों हेतु ₹ 427 करोड़,

उद्यानिकी हेतु ₹ 43 करोड़, मछली पालन हेतु ₹ 14 करोड़ तथा पशुपालन हेतु ₹ 98 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित हैं।

28. कृषकों को उचित किराया दर पर कृषि यंत्रों एवं उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से प्रदेश में कस्टम हाईरिंग सेंटर्स की स्थापना की योजना प्रारंभ की जा रही है। इन केन्द्रों पर ट्रेक्टर एवं अन्य विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र उपलब्ध होंगे। इस हेतु योजना अंतर्गत ₹ 106 करोड़ का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

29. तिलहन की खेती को बढ़ावा देने की दृष्टि से राष्ट्रीय तिलहन विकास योजना अन्तर्गत वर्ष 2010-11 में ₹ 56 करोड़ की तुलना में वर्ष 2011-12 में ₹ 75 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

30. प्रदेश में संकल्प-2010 में उद्यानिकी के अन्तर्गत आगामी तीन वर्षों में 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल की वृद्धि किये जाने का लक्ष्य है। इस हेतु उन्नत/संकर किस्म की सब्जी उत्पादन के लिये सामग्रियों पर 50 प्रतिशत या अधिकतम ₹12 हजार 500 प्रति हेक्टेयर तथा कन्द वाली व्यावसायिक फसलों हेतु अधिकतम ₹ 25 हजार प्रति हेक्टेयर अनुदान देय होगा। सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना अंतर्गत वर्ष 2011-12 में ₹ 6 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

31. प्रदेश में संचालित मसाला क्षेत्र विस्तार योजना के लिये वर्ष 2011-12 में ₹8 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके अलावा मिनी किट प्रदर्शन हेतु ₹ 3 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

32. किसानों को उनकी उपज का समुचित लाभ दिलाए जाने हेतु पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी गेहूँ उपार्जन पर ₹ 100 प्रति क्विंटल एवं धान उपार्जन पर ₹ 50 प्रति

क्विंटल बोनस दिया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु ₹ 350 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

33. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए अन्नपूर्णा योजना अंतर्गत वर्ष 2011-12 में राशि ₹ 290 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

34. देसी नस्ल के दुधारू गौवंशीय पशुओं से अधिक दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गोपाल पुरस्कार योजना प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत सर्वाधिक दूध उत्पादित करने वाली देसी नस्ल की गायों के पालकों को जिला एवं राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जायेगा। राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाली गायों के पालकों को क्रमशः ₹ 2 लाख, ₹ 1 लाख एवं ₹ 50 हजार तथा जिला स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाली गायों के पालकों को क्रमशः ₹ 50 हजार, ₹ 25 हजार एवं ₹ 15 हजार पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा।

35. आदिवासी क्षेत्रों में चलित पशु चिकित्सा योजना के तहत संचालित 40 चल चिकित्सा इकाईयों हेतु वर्ष 2011-12 में ₹ 3 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

36. कृषकों को दिये जा रहे अल्पकालीन कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान के समान ही मछुआरों को भी फिशर मेन क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत 3% की प्रभावी ब्याज दर पर कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस हेतु ₹ 2 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

37. प्रदेश में वर्षा जल की अधिकतम मात्रा खेतों में रोककर उससे सिंचाई करने के उद्देश्य से प्रदेश में तालाबों के विस्तार की बलराम तालाब योजना चल रही है। इस हेतु वर्ष 2011-12 में ₹ 28 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। कृषकों को गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन हेतु प्रशिक्षण एवं बीज भंडारण हेतु आधारभूत संरचना प्रदान करने की योजना अंतर्गत वर्ष 2011-12 में ₹ 28 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

आवास, पर्यावरण एवं वन

38. जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझना पूरे विश्व के लिये एक चुनौती है। प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में इन प्रभावों को समझने हेतु शोध की आवश्यकता है। अतः विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन शोध केन्द्र की स्थापना हेतु वर्ष 2011-12 में ₹3 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश में कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने संबंधी परियोजनाओं के निर्माण, समन्वय एवं स्वीकृति की प्रक्रिया को गति देने के लिये क्लीन डेव्हलेपमेंट मेकेनिज्म अथारिटी का गठन किया गया है।

39. बाघों के संरक्षण में प्रदेश हमेशा से अव्वल रहा है। मुझे सदन को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक चार वर्ष के अंतराल पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा कराये जाने वाले सर्वेक्षण में इस वर्ष पेंच ने प्रथम स्थान, बांधवगढ़ एवं कान्हा ने द्वितीय स्थान तथा सतपुड़ा एवं पन्ना टाइगर रिजर्व ने तृतीय स्थान प्राप्त करने का गौरव हासिल किया है।

40. प्रदेश में वन्य प्राणियों के बाह्य स्थलीय संरक्षण एवं घायल वन्य प्राणियों के उपचार की व्यवस्था हेतु सतना जिले में चिड़िया घर सह-उपचार केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। संरक्षित वन क्षेत्रों के बाहर वन्य प्राणियों के प्रबंधन हेतु वर्तमान व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 2011-12 में ₹ 4 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

41. माननीय विधायकों के विश्रामगृह में सुविधाओं के विस्तार एवं मरम्मत आदि कार्यों हेतु ₹ 5 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

शिक्षा

42. वर्ष 2010-11 में शिक्षा अन्तर्गत ₹ 6,749 करोड़ का प्रावधान था इसे 49% बढ़ाकर वर्ष 2011-12 में ₹ 10,043 करोड़ प्रस्तावित है।

43. बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को समग्र रुप से लागू करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित मांपदंडों के अनुसार नवीन विद्यालयों की स्थापना, अतिरिक्त शिक्षकों की भरती एवं अशासकीय विद्यालयों में दर्ज संख्या के न्यूनतम 25% तक कमजोर वर्गों के पालकों के बच्चों की शिक्षा पर अनुदान की व्यवस्था की जाएगी। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2010-11 के बजट अनुमान में राज्यांश के रूप में जहां ₹ 799 करोड़ का प्रावधान रखा गया था, वहीं वर्ष 2011-12 में इस हेतु प्रावधान को बढ़ाकर ₹ 1,474 करोड़ किया जाना प्रस्तावित है।

44. मुझे सदन को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि प्रदेश के सभी संविदा शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि की जाना प्रस्तावित है। संविदा शिक्षक वर्ग-एक, वर्ग-दो एवं वर्ग-तीन के वर्तमान मानदेय क्रमशः ₹ 4500, ₹ 3500 एवं ₹ 2500 को आगामी शिक्षा सत्र से बढ़ाकर क्रमशः ₹ 5500, ₹ 4500 एवं ₹ 3500 किया जाएगा।

45. वर्ष 2011-12 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन हेतु राज्यांश के रूप में ₹ 74 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। माध्यमिक स्कूलों में विकलांगों हेतु समेकित शिक्षा योजना के लिये ₹ 16 करोड़ प्रस्तावित है।

46. प्रदेश में छठवीं एवं नौवीं कक्षा में प्रवेश पाने वाली बालिकाओं को निःशुल्क साईकिल वितरण की योजना के सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। इससे बालिकाओं के उपरोक्त कक्षाओं में सकल पंजीयन अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मुझे सदन को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारी सरकार ने वर्ष 2011-12 से बालकों को भी कक्षा छठवीं एवं नवमी में प्रवेश पाने पर निःशुल्क साईकिल वितरण करने का निर्णय लिया है। साईकिल वितरण की योजना हेतु वर्ष 2011-12 में ₹ 125 करोड़ का

प्रावधान प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में बालिकाओं के साथ-साथ बालकों को भी निःशुल्क गणवेश प्रदाय किया जा रहा है।

47. प्रदेश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े 201 विकास खण्डों में बालिका छात्रावासों की स्थापना एवं संचालन के लिये राज्यांश के रुप में ₹ 1 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। वर्ष 2011-12 में प्रदेश के 160 हाई स्कूलों को हायर सेकेण्डरी स्कूलों में उन्नयन हेतु ₹ 11 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2011-12 में स्कूल भवनों के निर्माण हेतु ₹ 18 करोड़ तथा ग्रंथालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु ₹ 2 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

48. प्रदेश के निर्धन एवं कमजोर वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अभियांत्रिकी, चिकित्सा एवं वाणिज्य के चयनित महाविद्यालयों में प्रवेश दिलाये जाने हेतु प्रशिक्षण के लिए एक नई योजना प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना अन्तर्गत जिलों से चयनित 150 विद्यार्थियों के लिये राज्य शासन के व्यय पर विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।

49. प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार के उद्देश्य से महाविद्यालयों के अधोसंरचना विकास हेतु वर्ष 2011-12 में ₹ 21 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। गांव की बेटी एवं प्रतिभा किरण योजना अंतर्गत वर्ष 2011-12 में ₹ 24 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

50. प्रदेश के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने तथा बाजार की आवश्यकता के अनुसार उनका कौशल उन्नयन किए जाने के उद्देश्य से व्यवसायिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रत्येक जिला एवं विकास खण्ड स्तर पर कौशल विकास केन्द्रों, अन-सर्विस्ड विकास खण्डों में जन-निजी भागीदारी के माध्यम से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं वर्तमान में प्रत्येक

जिला मुख्यालय में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के रुप में उन्नयित किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वर्ष 2011-12 में ₹ 47 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

51. पोलीटेकनिक एवं इंजीनियरिंग संस्थाओं के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निखार, संवाद कौशल बढ़ाने तथा उन्हें विभिन्न संस्थाओं में नियोजन योग्य बनाने हेतु फिनिशिंग स्कूल प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है।

पर्यटन एवं संस्कृति

52. प्रदेश में निजी कम्पनियों द्वारा इंदौर, भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर के बीच वायु सेवा के संचालन को प्रोत्साहन दिये जाने के उद्देश्य से कुल ₹ 4 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

53. पर्यटन क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की असीम संभावनाएं हैं। इन सम्भावनाओं के दोहन हेतु हमारी सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में प्रदेश की 4 पोलीटेकनिक संस्थाओं में आतिथ्य सत्कार का नया पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। साथ ही इन्दौर में होटल प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जा रहा है, जिस हेतु वर्ष 2011-12 में ₹ 1 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

54. प्रदेश में धार्मिक पर्यटन, बुद्धिस्ट परिपथ, जैन परिपथ, हैरिटेज पर्यटन, ईको एवं साहसिक पर्यटन के विकास, पर्यटक सुविधाओं के विस्तार एवं उन्नयन, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं शहरों में साइनेज, मेला एवं उत्सव, हवाई पट्टी का विकास एवं सूचना प्रौद्योगिकी जैसे कार्यों हेतु वर्ष 2011-12 में ₹ 45 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

55. प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कई ऐसे स्थान हैं जहां पर पुरातन काल से मेलों का आयोजन किया जाता रहा है। उपरोक्त सांस्कृतिक परम्परा को संजोये रखने एवं उनके संवर्धन के लिए प्रदेश में सौ वर्षों से अधिक अवधि से आयोजित हो रहे एवं

न्यूनतम 15 दिवस तक चलने वाले प्रतिष्ठित मेलों हेतु अनुदान की योजना लागू की जाएगी।

56. प्रदेश के पुरातात्विक महत्व के स्थानों के संरक्षण के लिए ₹ 43 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। डॉ. शंकर दयाल शर्मा राज्य संग्रहालय हेतु ₹ 1 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

खेलकूद

57. खेलकूद के क्षेत्र में वर्ष 2003-04 में ₹ 15 करोड़ का प्रावधान था जिसे बढ़ाकर वर्ष 2011-12 में ₹ 101 करोड़ प्रस्तावित है। इस प्रकार इन गतिविधियों हेतु बजट प्रावधान अब लगभग 7 गुना हो चुका है। इसके सकारात्मक परिणाम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में परिलक्षित हो रहे हैं। वर्तमान में आयोजित हो रहे 34वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों का प्रदर्शन इसका गवाह है जिसमें प्रदेश के खिलाड़ियों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए अभी तक 21 स्वर्ण पदक, 25 रजत पदक एवं 40 कांस्य पदक हासिल कर लिए हैं।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास

58. वर्ष 2011-12 में पंचायतों को अंतरण हेतु ₹ 1,680 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इसमें से तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार ₹1,051 करोड़ एवं तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार ₹ 629 करोड़ का प्रावधान शामिल है।

59. गरीबी उन्मूलन योजना अंतर्गत प्रदेश में 1,500 नवीन ग्रामों में 8,000 महिला स्व-सहायता समूह का गठन करने का लक्ष्य है। साथ ही 3,000 ग्रामीण सदस्यों को स्व-रोजगार प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण उपरांत सुनिश्चित रोजगार तथा 28 रोजगार मेलों के माध्यम से लगभग 5000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को नियोजन के अवसर उपलब्ध

करवाये जाने का लक्ष्य है। इस योजना हेतु वर्ष 2011-12 में ₹ 100 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

60. ग्रामीण आजीविका परियोजना अन्तर्गत आजीविका के संसाधनों से 27,000 परिवारों को जोड़े जाने का लक्ष्य है। इस परियोजना हेतु वर्ष 2011-12 में ₹ 48 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

61. प्रदेश में कपिल धारा योजना अंतर्गत अभी तक 3,60,493 सिंचाई कूप स्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 1,88,375 कूप पूर्ण हो चुके हैं तथा 34,512 विद्युत/डीजल पम्प प्रदाय किए गए हैं। संकल्प-2010 के अनुक्रम में इस योजना के सभी अनुसूचित जाति के कृषकों को भी विद्युत/डीजल पम्प प्रदाय करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2011-12 में इस योजना हेतु ₹ 45 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

62. प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला के लगभग 90 लाख विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस हेतु वर्ष 2011-12 में ₹ 768 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

स्वास्थ्य

63. वर्ष 2011-12 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ₹ 2,639 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित हैं जो कि वर्ष 2010-11 के ₹ 1,878 करोड़ के अनुमानों से 41% अधिक है।

64. मैंने अपने पिछले बजट भाषण में सदन को सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति गहरी प्रतिबद्धता से अवगत कराया था। इस दृष्टि से स्वास्थ्य संस्थाओं की भौतिक अधोसंरचना की कमी को दूर करने के लिये वर्ष 2011-12 में ₹178 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सालयों में चिकित्सीय सुविधा सतत उपलब्ध रहना सुनिश्चित करने के लिये अस्पताल भवनों के साथ चिकित्सकों एवं कर्मचारियों के लिये आवास भी निर्मित किए जा रहे हैं।

65. प्रदेश में चिकित्सा विश्वविद्यालय की कमी अनुभव की जा रही थी। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि वर्ष 2011-12 में जबलपुर में चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित कर प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों को उससे संबद्ध किया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये वर्ष 2011-12 में ₹ 1 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

66. मातृ मृत्युदर एवं शिशु मृत्युदर में कमी लाना हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में है। जननी सुरक्षा योजना के सफल क्रियान्वयन के फलस्वरुप प्रदेश में अब 81% से अधिक संस्थागत प्रसव हो रहे हैं। जिला अस्पतालों में एस. एन. सी. यू. की स्थापना से शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सकी है। इसके अलावा महाराजा तुकोजीराव अस्पताल, इंदौर में 300 शैय्यायुक्त महिला अस्पताल भवन का निर्माण किया जा रहा है जिसकी कुल लागत ₹ 22 करोड़ है। इस हेतु वर्ष 2011-12 में ₹ 5 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

67. स्वाईन फ्लू, बर्ड फ्लू, डेंगू जैसी विषाणु जनित गंभीर बीमारियों की जांच के लिये प्रदेश में वर्तमान में केवल जबलपुर में प्रयोगशाला है। इस क्षेत्र में और अधिक सुविधा बढ़ाने एवं त्वरित परिणाम प्राप्त करने के लिये गांधी मेडीकल कालेज, भोपाल में सुसज्जित विषाणु विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना वर्ष 2011-12 में की जाएगी। इस हेतु निर्माण कार्यों एवं उपकरणों के क्रय के लिये कुल ₹ 24 करोड़ व्यय किए जायेंगे तथा वर्ष 2011-12 के लिए ₹ 6 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

68. दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना में वर्ष 2011-12 के लिये ₹ 35 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2010-11 के अनुमान ₹ 25 करोड़ की तुलना में 40% अधिक है। बढ़ती हुई मंहगाई के कारण शासकीय चिकित्सालयों में भरती मरीजों की राशन व्यवस्था में कठिनाई को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार द्वारा मरीजों के भोजन व्यय को ₹ 20 से बढ़ाकर ₹ 30 प्रति दिन प्रति मरीज किया गया है।

69. प्रदेश के दूरस्थ विकास खण्डों में चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए राज्य शासन द्वारा जन-निजी भागीदारी के माध्यम से चलित औषधालय प्रारंभ किये जा रहे हैं। जी. पी. एस. के माध्यम से इन चलित औषधालयों की स्थिति का अनवरत अनुश्रवण किया जाएगा।

महिला एवं बाल विकास

70. लाड़ली लक्ष्मी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 हेतु ₹ 439 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2010-11 के अनुमान ₹ 302 करोड़ से 45% अधिक है।

71. प्रदेश को कुपोषण मुक्त करने के उद्देश्य से अटल बाल आरोग्य मिशन की स्थापना की गई है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य बच्चों को कुपोषण एवं उसके दुष्प्रभाव से छुटकारा दिलाना है। मिशन की गतिविधियों के लिये वर्ष 2011-12 में ₹ 88 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

72. प्रदेश के 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य में सुधार, घरेलू कार्यों में दक्षता तथा जीवन उपयोगी आवश्यक प्रशिक्षण देने हेतु राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना "सबला" प्रदेश के 15 जिलों में प्रारंभ की जा रही है। इस हेतु वर्ष 2011-12 के बजट में ₹ 40 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

73. प्रदेश में आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण हेतु ₹ 100 करोड़ का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। आंगनवाड़ी भवनों के रख-रखाव के लिए वर्ष 2011-12 में ₹ 8 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण

74. हमारी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुये छात्रावासों एवं आश्रमों में निवासरत अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को मिलने वाली शिष्यवृत्ति की राशि को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ा है। इसके फलस्वरुप इन विद्यार्थियों को बढ़ती हुई मंहगाई के अनुरुप शिष्यवृत्ति में वृद्धि सुनिश्चित हुई है। हमारी सरकार ने माह नवम्बर, 2010 से इन शिष्यवृत्तियों में ₹ 175 प्रतिमाह वृद्धि की है। इसके फलस्वरूप बालकों को ₹ 675 एवं बालिकाओं को ₹ 700 की शिष्यवृत्ति दी जा रही है।

75. वर्ष 2011-12 में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिये 30 अंग्रेजी माध्यम की नवीन आश्रम शालायें, 2 पोस्ट मैट्रिक छात्रावास, 50 माध्यमिक शालाओं को हाईस्कूल में उन्नयन, 20 हाईस्कूलों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में उन्नयन तथा 20 अतिरिक्त संकाय खोले जाने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त 40 छात्रावासों, 80 आश्रम स्कूलों तथा 40 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण तथा 8 पोस्ट मैट्रिक, 10 प्री मैट्रिक नवीन कन्या छात्रावासों की स्थापना भी प्रस्तावित है।

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण

76. हमारी सरकार पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग की आवश्यकताओं के प्रति हमेशा से संवेदनशील रही है। इस वर्ग के छात्रों के अध्ययन हेतु बेहतर सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2010-11 में पिछड़े वर्ग की कन्याओं के लिए 50 तथा बालकों के लिए 21 पोस्ट मैट्रिक छात्रावास भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। वर्ष 2011-12 में 11 पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास भवनों का निर्माण प्रस्तावित है।

अल्पसंख्यक बाहुल्य जिला विकास कार्यक्रम अंतर्गत भोपाल में सौ सीटर कन्या छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है।

77. पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्तियों के लिए वर्ष 2011-12 में ₹ 366 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इसी प्रकार अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्तियों के लिए वर्ष 2011-12 में ₹ 32 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

78. मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना अंतर्गत वर्ष 2011-12 में ₹10 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। तालीम घर के लिए मदरसा बोर्ड को राज्यांश अनुदान ₹ 35 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।

नगरीय निकाय

79. वर्ष 2011-12 में नगरीय निकायों को अंतरण हेतु ₹ 2707 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जिसमें तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार ₹ 2296 करोड़, नगर निगमों में मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु ₹ 170 करोड़, राजधानी में मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु ₹ 19 करोड़ एवं तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार ₹ 222 करोड़ सम्मिलित हैं।

80. नगरीय निकाय बेहतर कर-प्रबंधन के माध्यम से अपने संसाधनों में गुणात्मक वृद्धि कर सकते हैं। इस दिशा में सुधार एवं प्रोत्साहन के उद्देश्य से संपत्ति कर एवं अन्य करों के अधिरोपण एवं संग्रहण के आधार पर मूल्यांकन किया जाकर नगरीय निकायों को प्रोत्साहन स्वरुप पुरुस्कृत करने की योजना प्रस्तावित है। इस योजना के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाली नगर पालिकाओं को क्रमशः ₹ 50 लाख, ₹ 30 लाख एवं ₹ 20 लाख तथा नगर पंचायतों को क्रमशः ₹ 25 लाख, ₹ 15 लाख एवं ₹ 10 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा।

81. नगरीय क्षेत्रों में पेयजल की समुचित व्यवस्था राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में है। अतः नगरीय क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था में सुधार हेतु नवीन योजना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत निकायों द्वारा सीधे निवेश के साथ-साथ जन-निजी भागीदारी के माध्यम से भी पेयजल स्रोत विकसित किए जा सकेंगे। इस हेतु वर्ष 2011-12 में ₹ 50 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

82. नगरीय क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था के अधोसंरचनात्मक सुधार के अनुक्रम में बुरहानपुर एवं ग्वालियर शहर की आंतरिक सड़कों के निर्माण हेतु वर्ष 2011-12 में ₹25 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। राजधानी परियोजना अंतर्गत भोपाल की सड़कों के विकास हेतु ₹ 30 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

83. सिहंस्थ-2016 की समुचित तैयारी हमने अभी से प्रारंभ कर दी है एवं इस प्रयोजन हेतु वर्ष 2011-12 में ₹ 5 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

सामाजिक न्याय

84. सर्वहारा वर्ग के लिए समाज का अवदान महानतम पुण्यों में से एक है। उनके लिए कुछ भी कर सकना चरम संतोष की अनुभूति कराता है। सर्वहारा वर्ग के उत्थान के प्रति हमारी सरकार प्रतिबद्ध रही है। प्रत्येक जिले में वर्ष में एक बार अन्त्योदय मेले का आयोजन इसी दिशा में बढ़ा एक कदम है। इन मेलों के माध्यम से समाज के वंचित वर्गों को संबल देकर उन्हें विकास की मुख्य धारा में शामिल करना हमारा लक्ष्य है। जिला स्तरीय अन्त्योदय मेलों के लिए वर्ष 2011-12 में राशि ₹ 15 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

85. मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना अंतर्गत वर्ष 2010-11 के अनुमानों में राशि ₹20 करोड़ का प्रावधान था जिसके विरूद्ध वर्ष 2011-12 में राशि ₹ 40 करोड़ प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत आर्थिक सहायता राशि प्रत्येक प्रकरण

में ₹ 7,500 से बढ़ाकर ₹ 10,000 की गई है। इस योजना हेतु वर्ष 2010-11 के अनुमानों में ₹ 28 करोड़ का प्रावधान था जिसे बढ़ाकर वर्ष 2011-12 में ₹ 42 करोड़ किया जाना प्रस्तावित है।

उद्योग एवं खनिज

86. राज्य की उद्योग संवर्धन नीति एवं कार्य योजना 2010 लागू की जा चुकी है। इसके अंतर्गत राज्य में औद्योगिक क्षेत्र में धनवेष्ठन को बढ़ावा देने के लिए ₹ 180 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2010-11 के अनुमान ₹ 113 करोड़ से 59% अधिक है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र के अधोसंरचना विकास हेतु वर्ष 2010-11 के अनुमान ₹ 3 करोड़ से बढ़ाकर वर्ष 2011-12 में ₹ 13 करोड़ का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

87. प्रदेश में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों को ब्याज एवं निवेश अनुदान हेतु क्रमशः ₹ 16 करोड़ एवं ₹ 21 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। पावरलूम बुनकरों को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने हेतु अनुदान के रूप में वर्ष 2011-12 में ₹ 8 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

88. प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित की जा रही रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना अंतर्गत वर्ष 2011-12 में ₹ 23 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

89. टसर रेशम विकास एवं विस्तार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 में प्रावधानित राशि ₹ 7 करोड़ की तुलना में वर्ष 2011-12 में ₹ 12 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। कुटीर उद्योगों के विकास हेतु वर्ष 2010-11 में प्रावधानित राशि ₹ 3 करोड़ की तुलना में वर्ष 2011-12 में ₹ 5 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

कानून व्यवस्था

90. प्रदेश के विकास में बेहतर कानून व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। पुलिस बल के लिए वर्ष 2010-11 में ₹ 1,816 करोड़ के विरूद्ध वर्ष 2011-12 में ₹2,472 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो वर्ष 2010-11 की तुलना में 36% अधिक है।

91. पुलिस बल को सुदृढ़ करने के लिये वर्ष 2010-11 में 1,796, वर्ष 2011-12 में 1,836, वर्ष 2012-13 में 1,876 एवं वर्ष 2013-14 में 747 इस तरह कुल 6,255 पदों पर भर्ती किया जाना प्रस्तावित है।

92. पुलिस बल के कौशल एवं क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से समय-समय पर प्रशिक्षण एवं नवीन तकनीकों से परिचित कराया जाना आवश्यक है। इस उद्देश्य से प्रदेश में पुलिस प्रशिक्षण शालाओं का निर्माण किया जा रहा है। प्रशिक्षण शालाओं के सुदृढ़ीकरण, निर्माण कार्य एवं उपकरणों के लिए वर्ष 2011-12 में ₹ 45 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। वर्ष 2010-11 में प्रदेश के 50% थानों के सुदृढ़ीकरण के लिये ₹ 3 करोड़ उपलब्ध कराये गये थे। वर्ष 2011-12 में शेष थानों के लिए ₹ 3 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जिसमें फर्नीचर हेतु ₹ 20 हजार प्रति थाने की राशि सम्मिलित है। नव-निर्मित पुलिस मुख्यालय के लिए नवीन फर्नीचर एवं उपकरणों के क्रय हेतु वर्ष 2011-12 में ₹ 1 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

93. वर्ष 2011-12 में पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत उपलब्ध उपकरणों के वार्षिक रख-रखाव के लिए ₹ 2 करोड़, पुलिस लाइन के शासकीय आवासों की मरम्मत के लिए ₹ 4 करोड़ एवं पुलिस बल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए किट-क्लोदिंग हेतु ₹ 8 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित हैं।

जन-निजी भागीदारी

94. प्रदेश में सड़क निर्माण के क्षेत्र में जन-निजी भागीदारी के माध्यम से प्रशंसनीय कार्य हुए हैं। प्रदेश के विकास की गति को बढ़ाने के लिए अधोसंरचना विकास में जन-निजी भागीदारी के माध्यम से निवेश को वर्ष 2013 तक दोगुना करने की कार्यवाही की जा रही है। जन-निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये विभागों के क्षमता वर्धन के लिए भारतीय प्रबंध संस्थान, इंदौर में प्रशिक्षण श्रृंखला प्रारंभ की गई है। जन-निजी भागीदारी परियोजना के विकास के लिए विभागों को आवश्यक वित्तीय सहायता देने के लिए विशेष योजना भी प्रारंभ की गई है।

प्रशासनिक सुधार

95. राज्य के शासकीय सेवकों की कार्यशैली में गुणात्मक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से अटल बिहारी वाजपेयी लोक प्रशासन संस्थान स्थापना की जा रही है। इस हेतु वर्ष 2011-12 में ₹ 2 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

96. प्रशिक्षण सुविधाओं में विस्तार के लिये आर. सी. व्ही. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में आडिटोरियम, छात्रावास एवं सुसज्जित कम्प्यूटर प्रयोगशाला जैसी अधोसंरचना निर्माण कार्य ₹ 12 करोड़ की लागत से किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु वर्ष 2011-12 में ₹ 4 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

97. वेट प्रणाली के कम्प्यूटरीकृत प्रशासन के लिये विभागीय ऐप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का विकास किया गया है। अब पंजीयन आवेदन तथा विवरणी ऑन लाईन प्रस्तुत करने की सुविधा उपलब्ध है। जाँच चौकियों पर प्रस्तुत करने हेतु घोषणा पत्र फार्म-49 ऑनलाईन प्राप्त करने की सुविधा व्यावसायियों को उपलब्ध है। शीघ्र ही केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अंतर्गत सी फार्म आदि के लिये आवेदन-पत्र ऑनलाईन प्रस्तुत करने की सुविधा भी प्रारंभ की जा रही है।

98. वेट प्रणाली के प्रशासन को व्यावसायियों के लिये सुविधाजनक बनाने के लिये अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं का सरलीकरण करना प्रस्तावित है। इसके लिये वेट अधिनियम में उपयुक्त संशोधन किया जाएगा।

99. प्रदेश में वेट अंतर्गत लगभग दो लाख पंजीकृत व्यावसायी हैं। ₹ 40 लाख तक वार्षिक टर्नओवर वाले लगभग डेढ़ लाख व्यावसायियों में से लगभग सवा लाख व्यावसायियों ने वर्ष 2009-10 की अवधि के लिये स्व-कर निर्धारण की सुविधा प्राप्त की है। वर्ष 2008-09 के लम्बित कर निर्धारण प्रकरणों के शीघ्र निवर्तन की दृष्टि से ₹ 4 करोड़ तक वार्षिक टर्नओवर वाले व्यावसायियों के लिये डीम्ड कर निर्धारण की सुविधा दी गई है। इसके तहत आवेदन के साथ देयकर व ब्याज की राशि जमा करने पर प्रस्तुत विवरण के आधार पर उनका कर निर्धारण मान्य किया गया है। लगभग 42000 प्रकरणों में व्यावसायियों ने इसका लाभ प्राप्त किया है।

कर्मचारी कल्याण

100. विगत वर्षों में राज्य के वेतन एवं पेंशन मदों के व्यय में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। जहां वर्ष 2007-08 में वेतन एवं पेंशन मद पर कुल व्यय ₹ 8,497 करोड़ था, वहीं यह बढ़कर वर्ष 2011-12 में ₹ 22,212 करोड़ होना अनुमानित है। इस प्रकार 4 वर्षों में इस मद में 261% की वृद्धि हुई है। उक्त व्यय वर्ष 2007-08 में राजस्व प्राप्तियों का 27% था, वह अब बढ़कर वर्ष 2011-12 में 38% होना अनुमानित है। इसके बावजूद हमारी सरकार कर्मचारियों एवं पेंशनरों के हितों की रक्षा हेतु कृत-संकल्पित है। इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए अप्रैल, 2011 से राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों के मंहगाई भत्तें एवं मंहगाई राहत की एक और किश्त दी जाकर 10% की वृद्धि की जाना प्रस्तावित है। इस प्रस्ताव से राज्य शासन पर ₹ 1,400 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भार अनुमानित है। मैं सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि इस वृद्धि से

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा दिए जा रहे मंहगाई भत्ते एवं मंहगाई राहत का अंतर समाप्त हो जाएगा।

101. हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 में अंशकालिक सफाई कर्मचारियों, अंशकालिक भृत्यों एवं स्कूलों में कार्यरत अंशकालिक लिपिकों के पारिश्रमिक में वृद्धि की गई थी। बढ़ती हुई मंहगाई को देखते हुए हमारी सरकार ने इन अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के पारिश्रमिक में अप्रैल, 2011 से क्रमशः ₹ 200, ₹ 400 एवं ₹ 500 प्रतिमाह वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इस वृद्धि के पश्चात अंशकालिक सफाई कर्मचारियों, अंशकालिक भृत्यों एवं स्कूलों में कार्यरत अंशकालिक लिपिकों के पारिश्रमिक क्रमशः ₹ 700, ₹ 1600 एवं ₹ 2000 प्रतिमाह हो जायेंगे।

102. शासकीय कर्मचारी की सेवा निवृत्ति पर पेंशनरी परिलाभ सेवा निवृत्ति की तिथि को ही प्राप्त हो यह हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में है। इसे दृष्टिगत रखते हुये वर्ष 2010-11 से प्रदेश के सभी जिलों में जिला पेंशन कार्यालयों की स्थापना की गई है। इस व्यवस्था से शासकीय सेवकों को न केवल सेवा निवृत्ति की तिथि पर सेवा निवृत्त लाभ मिल सकेगें बल्कि उन्हें भविष्य में पेंशन पुनरीक्षण आदि से संबंधी आने वाली कठिनाईयों से निजात मिल सकेगी।

पुनरीक्षित अनुमान 2010-11

103. वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां ₹52,514 करोड़ तथा राजस्व व्यय ₹ 47,788 करोड़ है। आयोजनेतर व्यय का पुनरीक्षित अनुमान ₹ 36,146 करोड़ तथा आयोजना व्यय का पुनरीक्षित अनुमान ₹25,111 करोड़ है। राजस्व आधिक्य का पुनरीक्षित अनुमान ₹ 4,726 करोड़ है। राजकोषीय घाटे का पुनरीक्षित अनुमान ₹ 8,325 करोड़ है, जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.47% होने से भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 के लिये निर्धारित 3.5% की सीमा से कम है।

बजट अनुमान 2011-12

राजस्व प्राप्तियां

104. वर्ष 2011-12 में कुल राजस्व प्राप्तियों का बजट अनुमान ₹ 57,789 करोड़ है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य करों से प्राप्तियां ₹ 23,118 करोड़, करेतर राजस्व प्राप्तियां ₹ 5,999 करोड़, केन्द्रीय करों में प्रदेश के हिस्से के अंतर्गत प्राप्तियां ₹17,029 करोड़ तथा केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान अंतर्गत प्राप्तियां ₹ 11,643 करोड़ अनुमानित है।

105. केन्द्र से राज्यों को उनकी संचित निधि के माध्यम से उपलब्ध होने वाली सहायता के अतिरिक्त विभिन्न संस्थाओं को सीधे लगभग ₹ 13,475 करोड़ की सहायता राशि उपलब्ध होना अनुमानित है। यह धनराशि लोक वित्त का अंश है परंतु राज्य के शासकीय लेखे का भाग नहीं है।

आयोजना एवं आयोजनेतर व्यय

106. वर्ष 2011-12 के लिये आयोजना व्यय का बजट अनुमान ₹ 25,578 करोड़ है जिसमें राज्य आयोजना अंतर्गत ₹ 22,070 करोड़ का प्रावधान शामिल है। अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिये ₹ 3,354 करोड़ तथा अनुसूचित जाति उपयोजना के लिये ₹ 4,878 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित आयोजना व्यय कुल व्यय का 38% है। आयोजना अंतर्गत पूंजीगत परिव्यय ₹ 8,736 करोड़ प्रस्तावित है। आयोजनेतर व्यय का अनुमान ₹ 40,266 करोड़ है।

107. कुशल ऋण प्रबंधन के परिणाम स्वरूप कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राज्य के ब्याज भुगतान के दायित्वों में निरन्तर कमी आई है। वर्ष 2010-11 में बजट अनुमान अनुसार जहां कुल ब्याज भुगतान, राजस्व प्राप्तियों का 11.6% था, वहीं वर्ष 2011-12 में यह 9.25% रहना अनुमानित है।

शुद्ध लेन-देन

108. वर्ष 2011-12 की कुल प्राप्तियां ₹ 65,931 करोड़ तथा कुल व्यय ₹65,845 करोड़ अनुमानित होने से वर्ष का शुद्ध लेन-देन रूपये धनात्मक ₹ 86 करोड़ एवं अंतिम शेष ऋणात्मक ₹ 78 करोड़ का अनुमान है।

राजकोषीय स्थिति

109. कुल राजस्व व्यय ₹ 53,923 करोड़ एवं कुल राजस्व प्राप्तियां ₹ 57,789 करोड़ होने से राजस्व आधिक्य ₹ 3,866 करोड़ अनुमानित है। इस प्रकार आगामी वर्ष में राजस्व आधिक्य की स्थिति निरंतर रहने का अनुमान है। वर्ष 2011-12 के लिये राजकोषीय घाटे का अनुमान ₹ 7,981 करोड़ है। यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3% अनुमानित है जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा में है।

भाग-2

अध्यक्ष महोदय,

वस्तु तथा सेवा कर (जी.एस.टी.)

1. मैंने पिछले दो बजट भाषणों में जी.एस.टी. के प्रस्तावित कर ढांचे तथा संवैधानिक व्यवस्था पर राज्य सरकार की चिंताओं एवं आशंकाओं से इस सदन को अवगत कराया था।

2. राज्य सरकारें जी.एस.टी. में भी वेट की तरह आवश्यक वस्तुओं के लिये कर की निम्न दरें तथा अन्य वस्तुओं के लिये सामान्य दर चाहती हैं। परन्तु केन्द्र सरकार सभी वस्तुओं पर 8% की कर की एक ही दर चाहती है। इससे आम आदमी पर कर का बोझ बढ़ेगा तथा सम्पन्न वर्ग को फायदा होगा परन्तु राज्यों के राजस्व की भारी हानि होगी।

3. जी.एस.टी. प्रणाली को लागू करने के लिये राज्यों को उपलब्ध कराए गए संविधान संशोधन विधेयक के प्रारूप के अनुसार केन्द्र सरकार राज्यों के कराधान के सभी संसाधन जी.एस.टी. में शामिल कर तथा उसकी दरों पर अपना नियंत्रण रख कर राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता समाप्त करना चाहती है।

4. प्रस्तावित अनुच्छेद 279-अ के अनुसार संसद कानून बना कर जीएसटी परिषद का गठन कर सकती है। इस परिषद की संरचना तथा उसके द्वारा निर्णय लेने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के निर्धारण के बारे मे संसद को समस्त अधिकार होंगे। यद्यपि जीएसटी परिषद के द्वारा संघ एवं राज्यों को जीएसटी कर ढांचे, इसमें शामिल होने वाले राज्यों के करों तथा कर प्रशासन की प्रक्रिया के बारे में अनुशंसा की जाएगी परन्तु प्रस्तावित अनुच्छेद 279-ब के अनुसार इन अनुशंसाओं को न

मानने का राज्य विधायिका को कोई अधिकार नहीं होगा। इस प्रकार प्रस्तावित अनुच्छेद 279-अ तथा 279-ब के अनुसार कराधान संबंधी राज्यों की विधायिकाओं के विधायी अधिकार संसद द्वारा गठित परिषद में निहित हो जाएंगे।

5. प्रस्तावित अनुच्छेद 279-अ तथा 279-ब के प्रावधान संसदीय लोकतंत्र तथा संघीय व्यवस्था संबंधी संविधान के मूलभूत ढांचे के विरूद्ध हैं क्योंकि इनके कारण कराधान संबंधी विधायिका के कार्य संसद द्वारा गठित कार्यपालिक निकाय में वेष्ठित हो जाएंगे तथा राज्य विधायिका कराधान संबंधी विधायी अधिकारों से वंचित हो जाएगी। संविधान के मूलभूत ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे किसी भी प्रस्ताव का हम समर्थन नहीं कर सकते।

6. केन्द्र सरकार द्वारा जनवरी, 2011 में प्रेषित प्रारूप अनुसार "चुंगी के एवज में लगाया गया प्रवेश कर" भी वस्तु एवं सेवा कर में समाहित हो जाएगा। केवल स्थानीय निकायों द्वारा अधिरोपित एवं संग्रहित प्रवेश कर ही जी.एस.टी. में समाहित नहीं होगा। इसका परिणाम यह होगा कि स्थानीय निकायों के राजस्व के संरक्षण हेतु उन्हें पुनः चुंगी अधिरोपित करना होगा और इसकी वसूली के लिये फिर से चुंगी नाकों की स्थापना की जाएगी। यह प्रतिगामी कदम है जो किसी भी दृष्टि से सुधारवादी नहीं कहा जा सकता है।

<u>विलासिता, विज्ञापन तथा मनोरंजन कर</u>

7. प्रदेश में वर्तमान में मनोरजन कार्यक्रमों तथा इन कार्यक्रमों में प्रदर्शित विज्ञापन पर "मध्य प्रदेश मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन अधिनियम, 1936" के अन्तर्गत प्रदेश में कर देय है। होटलों में उपलब्ध कराए जाने वाली विलास की वस्तुओं पर "मध्य प्रदेश होटल तथा वासगृहों में विलास वस्तुओं पर कर अधिनियम, 1988" के अन्तर्गत कर देय है। इन दोनों अधिनियमों के स्थान पर एकीकृत कराधान अधिनियम

प्रस्तावित है। इस नये अधिनियम का प्रशासन आयुक्त, वाणिज्यिक कर करेंगे तथा देय कर का निर्धारण एवं संग्रहण व्यवसाईयों द्वारा संधारित लेखे तथा उनके द्वारा प्रस्तुत विवरणी के आधार पर किया जाएगा जिससे इसका प्रशासन सुविधाजनक हो।

8. होटलों में प्रदाय होने वाली विलास की वस्तुओं तथा सुविधाओं के अतिरिक्त ब्यूटी पार्लर, स्पा, मैरिज हाल, तथा केटरर द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विलास की सुविधाओं तथा सेवाओं पर भी नये अधिनियम के अंतर्गत कर देय होगा। पर्यटन नीति के अंतर्गत ₹ 2000 प्रति दिन तक के किराए के कमरों पर उपलब्ध विलासिता कर में छूट नये अधिनियम अन्तर्गत भी उपलब्ध होगी। विलास की अतिरिक्त वस्तुओं एवं सुविधाओं पर प्रस्तावित करारोपण से ₹ 5 करोड़ का राजस्व अनुमानित है।

9. मनोरंजन कार्यक्रमों में प्रदर्शित विज्ञापन के अतिरिक्त प्रदेश के किसी भी स्थान पर, केबल टी.वी., टेलीमार्केटिग, आदि के माध्यम से प्रदर्शित अथवा संसूचित विज्ञापन पर भी नये अधिनियम के अंतर्गत कर देय होगा। परन्तु समाचार पत्रों, रेडियो या टेलीविजन से ब्रॉडकास्ट होने वाले विज्ञापन पर कर देय नहीं होगा। प्रस्तावित अतिरिक्त करारोपण से ₹ 5 करोड़ का राजस्व अनुमानित है।

10. नये अधिनियम के अन्तर्गत भी सभी प्रकार के मनोरंजन पर, चाहे वह किसी भी उपकरण अथवा टेक्नोलॉजी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाय, कर देय होगा। पुराने सिनेमा गृहों को संरक्षण देने के लिये सिनेमागृहों में ₹ 30/- की अधिकतम सीमा तक प्रवेश शुल्क को मनोरंजन कर से मुक्त करना प्रस्तावित है।

<u>मुद्रांक शुल्क</u>

11. राज्य शासन ने इस वर्ष से शासकीय एर्जेसियों द्वारा समाज के कमजोर वर्गो को उपलब्ध कराए जा रहे भवनों/भूखण्डों पर स्टाम्प शुल्क से छूट दी है। आगामी वर्ष से भूमि तथा भवनों के हस्तांतरण पत्रों पर स्टाम्प शुल्क की दर 7.5% से

घटाकर 5% करना प्रस्तावित है। महिलाओं के पक्ष में निष्पादित विक्रय-पत्रों पर भी वर्तमान में 5.5% के स्थान पर स्टाम्प शुल्क 5% ही देय होगा। स्टाम्प शुल्क की दर में प्रस्तावित इस कमी से अगले वर्ष लगभग ₹ 700 करोड़ की राजस्व हानि का अनुमान है।

12. भवन निर्माण उद्योग में "विकास अनुबंध-पत्रों" पर देय स्टाम्प शुल्क की दर अपेक्षाकृत कम होने से बाजार विकृत होता है। इसे दूर करने हेतु विकास अनुबंध-पत्रों पर स्टाम्प शुल्क की दर वर्तमान में 2% से बढ़ाकर 3% करना प्रस्तावित है। इससे अगले वर्ष अतिरिक्त राजस्व लगभग ₹ 10 करोड़ अनुमानित है।

13. पावर ऑफ अटॉर्नी एक ऐसा दस्तावेज है जिसका उपयोग भूमि संबंधी संव्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क से बचने के लिये भी होता है। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये अचल सम्पत्ति के विक्रय का अधिकार देने वाले एक वर्ष की अवधि तक के पावर ऑफ अटॉर्नी पर स्टाम्प शुल्क की दर वर्तमान में ₹ 100 से बढ़ाकर ₹1000 करना प्रस्तावित है। इससे अगले वर्ष लगभग ₹ 10 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।

केन्द्रीय विक्रय कर

14. अप्रत्यक्ष करों में सुधार के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर की दर 4% से घटाकर पहले 3% तथा फिर 2% की गई है। दर में कमी करने से राज्यों को होने वाली राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति का वादा केन्द्र सरकार ने किया था, परन्तु उसने एकपक्षीय निर्णय लेकर क्षतिपूर्ति के मापदण्डों को संशोधित कर दिया। कर की दर में कमी से वर्ष 2009-10 में राज्य को ₹ 326 करोड़ राजस्व की हानि हुई थी जिसके विरूद्ध केन्द्र सरकार ने मात्र ₹105 करोड़ की क्षतिपूर्ति राशि राज्य को दी है। इस बात की भी संभावना है कि अगले वर्ष से केन्द्र सरकार केन्द्रीय विक्रय

कर की दर 2% से घटाकर 1% कर दे। यदि ऐसा हुआ तो अगले वर्ष राज्य को लगभग ₹ 350 करोड़ की अतिरिक्त हानि होगी।

15. घोषित वस्तुओं की अधिकतम दर 4% ही रहने से अब वेट अधिनियम की अनुसूची II के भाग II में उल्लिखित वस्तुओं पर कर की दो दरें हो गई हैं, घोषित वस्तुओं के लिये 4% तथा शेष के लिये 5%। यह एक विसंगतिपूर्ण स्थिति है। इसे दूर करने के लिये राज्यों द्वारा केन्द्र सरकार से आग्रह किया गया है कि घोषित वस्तुओं पर अधिकतम दर 4% से बढ़ाकर 5% की जाए। यदि केन्द्र सरकार केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम में इस बाबत् संशोधन करती है तो घोषित वस्तुओं पर देय वेट की दर में भी तद्नुसार संशोधन प्रस्तावित किया जाएगा।

16. निर्माण सामग्री पर देय वेट के कर अपवंचन की प्रवृत्ति पर नियंत्रण हेतु किये गये प्रयासों के वांछित लाभ प्राप्त हुए हैं। कर अपवंचन की प्रवृत्ति पर और अधिक नियंत्रण हेतु भवन विक्रय संव्यवहारों पर वेट सिद्धान्त के अनुसार करारोपण प्रस्तावित है। ऐसे संव्यवहारों के प्रतिफल में से भूमि के मूल्य को घटाने के पश्चात् शेष पर 5% की दर से कर देय होगा तथा भवन निर्माण में प्रयुक्त निर्माण सामग्री पर चुकाये गये वेट के लिये "आई.टी.आर." उपलब्ध होगा। इससे वर्ष 2011-12 में लगभग ₹25 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व अनुमानित है।

17. वेट के अंतर्गत निम्न वस्तुओं पर वेट की दर 13% से घटाकर 5% करना प्रस्तावित है:-

(1) रेस्तरां में परोसे जाने वाले पके हुए स्वल्पाहार
(2) रेस्तरां के अतिरिक्त केटरर द्वारा परोसे जाने वाले पके हुये स्वल्पहार तथा भोजन
(3) कागज तथा प्लास्टिक से बने प्लेट, कटोरी (दोना-पत्तल) एवं चम्मच
(4) ₹ 150 प्रति नग तक की कीमत वाले सी.एफ.एल. बल्ब
(5) सिंचाई पम्पों में प्रयुक्त होने वाले फुट वाल्व

18. निम्नलिखित वस्तुओं को वेट से मुक्त करना प्रस्तावित है:-

(1) सरसों की खली

(2) कचरे से बने ईंधन

(3) पंचामृतम, नामाकट्टी तथा विभूति

19. मैन्युफैक्चरिंग इकाईयों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाले प्राकृतिक गैस पर 13% की दर से वेट देय है। इस पर प्रभावी वेट दर 13% से घटाकर 5% करना प्रस्तावित है।

20. व्यावसायियों के आई.टी.आर. के दावों का सत्यापन तथा जमा अतिरिक्त वेट राशि की शीघ्र वापसी वेट कर प्रणाली के सुचारू क्रियान्वयन के लिये आवश्यक है। वेट वापसी के दावों में धोखाधड़ी रोकने के लिये प्रत्येक संभागीय कार्यालय में आई.टी.आर. वैरीफिकेशन इकाईयों की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। वर्ष के दो अनुवर्ती वर्षो के लिये देय कर के निर्धारण पश्चात् वेट वापसी से उद्योगों की कार्यशील पूंजी अवरुद्ध रहती है। प्रदेश के उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु मैन्यूफैक्चरिंग इकाईयों को वेट की त्वरित वापसी की व्यवस्था की जाना प्रस्तावित है।

<u>प्रवेश कर</u>

21. प्रवेश कर अंतर्गत कर ढांचे का पिछले वर्ष युक्तियुक्तकरण किया गया था। उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिये कतिपय उद्योगों को प्रवेश कर से छूट दी गई थी, विशेष कर ऐसे उद्योगों को जो राज्य के बाहर से कच्चा माल लाकर विशिष्ट उत्पाद बना रहे हैं और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। यह छूट अगले वर्ष भी निरन्तर रखना प्रस्तावित है। इसी अनुक्रम में निम्न वस्तुओं को प्रवेश कर से मुक्त करना प्रस्तावित है:-

(क) मिश्रण के लिये लाई गई चाय की पत्ती, जब मिश्रित चाय की पत्ती को राज्य के बाहर अंतरित/विक्रय किया जाय

(ख) संशोधन के लिये लाया गया कच्चा खाद्य तेल

(ग) हाट रोल्ड क्वाईल्स से कोटेड, कलर कोटेड तथा गैलवेनाईज्ड कोल्ड रोल्ड कॉयल बनाकर अंतर्राज्यीय/निर्यात के अनुक्रम में विक्रय करने पर।

22. प्रदेश की नगरीय अधोसंरचना के विकास हेतु अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था करने के लिये कोयले पर प्रवेश कर की दर 2% से बढ़ाकर 3% करना प्रस्तावित है। इससे ₹ 20 करोड़ अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति का अनुमान है।

23. प्रदेश के बाहर से निर्माण कार्य हेतु लाये जाने वाले लोहे व इस्पात पर देय प्रवेश कर की दर इस वर्ष 2% से बढ़ाकर 5% की गई है। प्रदेश के बाहर से विक्रय हेतु लाए जाने वाले लोहे तथा इस्पात पर भी प्रवेश कर की दर 2% से बढ़ाकर 5% करना प्रस्तावित है। इससे ₹ 10 करोड़ अतिरिक्त राजस्व का अनुमान है।

आबकारी

24. राष्ट्रीय स्तर के विनिर्माताओं द्वारा राज्य में फ्रेंचाइस व्यवस्था के अन्तर्गत अथवा अन्य व्यवस्था से राज्य में खपत हेतु निर्मित बीयर पर बॉटलिंग फीस ₹ 6 प्रति बल्क लीटर से बढ़ाकर ₹ 10 प्रति बल्क लीटर एवं आयात फीस ₹ 11 प्रति बल्क लीटर से बढ़ाकर ₹ 15 प्रति बल्क लीटर करना प्रस्तावित है। इससे अगले वर्ष ₹ 11 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व अनुमानित है।

राजस्व वृद्धि के अन्य प्रस्ताव

25. निजी व्यक्तियों के लिए हथियारों का लायसेंस देने एवं उनके नवीनीकरण की प्रक्रिया में शासकीय अमले का काफी समय एवं संसाधन व्यय होते हैं। अतः हथियारों

के लायसेंस की स्वीकृति तथा नवीनीकरण हेतु आवेदकों से निम्नांकित दरों से प्रक्रियण शुल्क लेना प्रस्तावित हैः-

1. वर्जित हथियार एवं अवर्जित पिस्टल/रिवाल्वर	₹ 5000
2. अवर्जित रायफल	₹ 2000
3. बी. एल. गन	₹ 500
4. एम.एल. गन	₹ 200

उक्तानुसार प्रक्रियण शुल्क से वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 10 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होना अनुमानित है।

26. प्रदेश में भूमि के व्यपवर्तन पर प्रीमियम एवं भू-भाटक की दरों में निर्धारण की व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए इन्हें अब जिला कलेक्टरों द्वारा स्टाम्प ड्यूटी हेतु लागू की गई गाईड लाईन दरों के आधार पर निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। इस परिवर्तन के फलस्वरुप एक वित्तीय वर्ष में ₹ 100 करोड़ का राजस्व प्राप्त होना अनुमानित है।

27. राज्य शासन द्वारा औद्योगिक एवं व्यावसायिक उपयोगों हेतु आवंटित शासकीय भूमि के लिए प्रीमियम की दर न्यूनतम ₹ 5 लाख प्रति एकड़ निर्धारित की जायेगी। इस परिवर्तन से इस वित्तीय वर्ष में ₹ 100 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होना संभावित है।

अंत में मैं और हमारी सरकार प्रदेश की सात करोड़ जनता जनार्दन का कृतज्ञता ज्ञापित करती है उनके भरपूर आशीर्वाद, स्नेह एवं सहयोग का। उपलब्धियाँ सब आपकी और कमियाँ सब मेरी हैं।

"मेरी हस्ती ही कहाँ थी,
हस्तिए ना चीज था,
बस अकेले चल पड़ा,
खुद रास्ते बनते गये।"

मैं अपने इस बजट भाषण का राष्ट्र कवि स्व. हरिवंशराय बच्चन की निम्न पंक्तियों के साथ समापन करता हूँः-

"तू न थकेगा कभी,
तू न थमेगा कभी,
तू न मुड़ेगा कभी,
कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ"

चरैवेति चरैवेति

।।जय भारत जय मध्यप्रदेश।।